झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–321 / 2019

1. रोहित शेखर, उम्र लगभग 39 वर्ष, श्री आर0सी0 सिंह के पुत्र, ई / 48, सेक्टर–3, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, शहर एवं जिला–रांची (झारखंड) वर्तमान में फ्लैट संख्या 01–05,137, तनाह मेराह केचिल रोड, डाकघर और थाना–सिंगापुर, कंट्री साउथ सिंगापुर–4666711 में रहते हैं।
2. डॉ0 जयता मुखर्जी, जिनकी आयु लगभग 43 वर्ष है, श्री रोहित शेखर की पत्नी ई / 48, सेक्टर–3, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, शहर एवं जिला–रांची (झारखंड), वर्तमान में सी–2 में निवास करती है। ..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. झारखंड राज्य, उपायुक्त, जमशेदपुर, डाकघर और थाना–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) के माध्यम से।
2. एक्सिस बैंक लिमिटेड अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से जिसका अपना कार्यालय एक्सिस हाउस, सी–2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई, डाकघर और थाना–वर्ली, जिला–मुंबई (महाराष्ट्र) में है।
3. शाखा प्रबंधक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, जमशेदपुर शाखा, जिसका शाखा कार्यालय 1–सैंडलाइन रोड, स्ट्रेट लाइन रोड, प्रथम तल, शताब्दी टॉवर, जमशेदपुर, टाउन जमशेदपुर, डाकघर और थाना–साकची, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) में है।
4. श्रीमती गौरी देवी, पति का नाम अपीलकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, मेसर्स गौरी एसोसिएट, के प्रोपराइटर हैं जो 5, गोविंद नगर, 9 केडी फ्लैट्स के विपरीत, कदमा, टाउन जमशेदपुर, डाकघर और थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं; तथा अमृत कुंज, हाउस नंबर 2, सिंह मेन रोड, सी0एच0 एरिया (उत्तर), कैंटोनमेंट एरिया के पीछे, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम; और निरोध टॅवर, रेमंड शोरूम के बगल में, एल0 रोड,

बिस्टूपुर, जमशेदपुर, डाकघर और थाना–बिस्टूपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) में भी।

5. श्री रोहित कुमार सिंह, पिता का नाम अपीलकर्ताओं को नहीं मालूम, निवासी 5, गोविंद नगर, 9 केडी फ्लैट्स के विपरीत, कदमा, टाउन जमशेदपुर, डाकघर और थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं; तथा अमृत कुंज, हाउस नंबर 2, सिंह मेन रोड, सी0एच0 एरिया (उत्तर), कैंटोनमेंट एरिया के पीछे, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम; और निरोध टॅवर, रेमंड शोरूम के बगल में, एल0 रोड, बिस्टूपुर, जमशेदपुर, डाकघर और थाना–बिस्टूपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)।

6. अरूण कुमार सिंह, पे0 डॉ0 एस0के0 सिंह, डुप्लेक्स नंबर 5, सत्यम एन्क्लेव, सोनारी, डाकघर और थाना–सोनारी, टाउन, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)।

..... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय मुख्य न्यायाधीश**

माननीय न्यायमूर्ति श्री रत्नाकर भेंगरा

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता, विपुल पोद्दार, अधिवक्ता

उत्तरदाता बैंक के लिए : श्री अशोक कुमार यादव, अधिवक्ता

आदेश संख्या 03ःदिनांक 16 मई, 2019

अनिरूद्ध बोस, सी0जे0

वर्तमान आवेदन इस पीठ द्वारा 01 मई, 2019 को एल0पी0ए0 सं0–319/2019 में दायर किया गया है और ये संशोधन कुछ लिपिकीय त्रुटियों के सुधार की प्रकृति हैं।

अपीलकर्ताओं की प्रार्थना जिसके आधार पर पूर्वोक्त आदेश पारित किया गया था, लेटर्स पेटेंट अपील की वापसी के लिए था। बैंक को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता केवल अपील वापस लेना चाहता था लेकिन आदेश में बैंक के विद्वान अधिवक्ता का नाम गलत तरीके से श्री अशोक कुमार यादव के रूप में दिखाई दिया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वह उस तारीख को बैंक की ओर से उपस्थित नहीं हुए थे लेकिन आज विद्वान एडवोकेट श्री यादव को वादकालीन आवेदन की एक प्रति दी गई है और उन्होनें बैंक की ओर से इसकी प्रति स्वीकार कर ली है। वह बैंक की ओर से पेश भी हुआ है।

आदेश के पहले पैराग्राफ में, जिसमें संशोधन के लिए कहा गया है, यह दर्ज किया गया है कि श्री सिन्हा के मुवकिलों ने उन्हें निर्देश दिया कि प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम के प्रवर्तन की धारा 14 के तहत उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। जारी करने वाले प्राधिकरण और कानून की धारा का गलत संदर्भ दिया गया था। आदेश को नोटिस पढ़ा जाना चाहिए और उसे जारी करने वाले अधिकारी, एक्सिस बैंक का प्राधिकृत अधिकारी था, तथा नोटिस, प्रतिभूतिकरण, वित्ततीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम के प्रवर्तन की धारा 13 (4) के तहत जारी किया गया था।

इन सभी संशोधनों को आज प्रभावित किया जा रहा है, श्री सिन्हा ने उक्त आदेश में दर्ज किया था कि इस तरह की अपील 'इस सप्ताह के दौरान' दायर की

जाएगी, को हटा दिया जाता है क्योंकि वह सप्ताह पहले ही समाप्त हो चुका है। अपील कानून के अनुसार दायर की जाएगी।

इन संशोधनों को शामिल किए जाने पर, 1 मई, 2019 को पारित आदेश को इस तरह पढ़ा जाएगाः–

''श्री सिन्हा, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उनके मुवकिलों ने उन्हें निर्देश दिया है कि प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम के प्रवर्तन की धारा 13 (4) के तहत एक्सिस बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी।

2. इस तरह की सबमिशन के मद्देनजर, हमें अपील दायर करने के लिए वैकल्पिक उपाय होने के कारण विद्वान प्रथम न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज किये जाने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। यह आदेश 2 अप्रैल, 2019 को पारित किया गया था।

3. श्री सिन्हा, हालांकि इस तरह से आशंकित हैं कि अपील दायर करने से पहले बेदखल होने की कार्रवाई हो सकता है। लेकिन यह न्यायालय अधिकारियों से `इस सप्ताह के दौरान आदेश को लागू करने की उम्मीद नहीं करेगा। श्री सिन्हा का मुवकिल कानून के अनुसार कब्जे के नोटिस के खिलाफ अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. ऐसी परिस्थितियों में, हम किसी अन्य आदेश को पारित करना आवश्यक नहीं मानते हैं। अपील का निपटारा किया जाता है।

संशोधनों को शामिल करने वाले इस आदेश को 1 मई, 2019 को पारित हुआ माना जाएगा।

सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अनिरूद्ध बोस, सी0जे0)

(रत्नाकर भेंगरा, न्याया0)